कार्यालय कलेक्टर जिला रतलाम म.प्र.

क्रमांक /साधिकार अभियान/2015 रतलाम दिनांक /07/2015

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत रतलाम
2. अनुविभागीय अधिकारी,
   अनुभाग रतलाम /जावरा /आलोट / सैलाना ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जनपद पंचायत रतलाम/जावरा/पिपलौदा/आलौट/सैलाना बाजना।

प्रायः यह देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नही मिल पाता जिनके लिये वे पात्रता रखते है । जानकारी एंव जागरूकता के अभाव में वे आवेदन नही कर पाते एंव हमारा शासकीय तंत्र उन तक पहूॅच नही पाता । अतः वे लाभ से, सहायता से वंचित रह जाता है । ऐसा भी देखा गया है कि बडी संख्या में स्वीकृत एंव पंजीकृत हितग्राहियों को भी उनकी पात्रतानुसार लाभ नही मिलता या तो अत्याधिक विलंब से प्राप्त होता है ।

आप सहमत होगें कि शासन की विभिन्न हितग्राहिमूलक योजनाओं में पात्रता रखने वाले नागरिकों का यह अधिकार है कि उन योजनाओं का लाभ उन्हे मिले । अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि हम पात्र नागरिकों को उनकी पात्रतानुसार लाभ/सहायता प्रदान करने के लिये हर संभव प्रयास करें । इसी उद्‌देश्य से '' साधिकार अभियान '' प्रारंभ किया जा रहा है ।

इस अभियान के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के रूप में नागरिकों को एकत्रित कर, उन्हे योजनाओं की जानकारी देकर, उनके आवेदन प्राप्त कर, आवेदन स्वीकृत कर लाभ दिलाया जाना है । साथ ही जो पूर्व से किन्ही याजनाओं में स्वीकृत या पंजीबद्ध है उन्हे समस्त लंबित लाभ पात्रानुसार दिलाया जाना है ।

मेरी अपेक्षा है कि इस अभियान में समस्त अधिकारी/कर्मचारी संपूर्ण सक्रियता से हिस्सा लेंगे । मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर हजारों गरीब नागरिकों तक अनेक प्रकार के लाभ पंहूचाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में सफल होंगे ।

साधिकार अभियान के तहत निम्नलिखित विभागों की संबंधित योजनाओं को शामील किया गया है। यह समस्त योजनाए हितग्राहिमूलक है एंव इनमें निर्धारित लक्ष्य की सीमाएं नही है । अतः सभी पात्रों को लाभान्वित किया जाना है।

1. ग्रामीण विकास	1.	2. वृद्धावस्था पेंशन	नवीन पात्र व्यक्तियो के प्रकरण स्वीकृत करना एवं पूर्व से स्वीकृत को माह जुलाई 15 तक लाभ दिलाना
	3.	4. विधवा पेशन	
	5.	6. विकलांग पेंशन	
	7.	8. सामाजिक सुरक्षा पेंशन	
	9.	10. राष्ट्रीय परिवार सहायता	
	11.	12. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	फार्म भरवना एवं बीमा करवाना
	13.	14. प्रधानमंत्री जीवन ज्याति योजना	
	15.	16. अटल पेंशन योजना	

2. श्रम विभाग	1. मध्य प्रदेश भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार मंडल के तहत पात्रताधारियो को नवीन कार्ड जारी करना
	2 पंजीकृत परिवार को योजना का लाभ दिलाना
	3. पंजीकृत परिवार जिनका नवीनीकरण नही हो पाया है उनका नवीनीकरण करना

4. राजस्व विभाग	1. ऋण पस्तिका वितरण
	2. भू–अधिकार पत्र जारी करना
	3. फौती नामांतरण करना
	4. बी.पी.एल. में नाम जोडना

5. खाद्य विभाग	1. पात्रता पर्ची का वितरण

6. महिला बाल विकास	1. लाडली लक्ष्मी योजनांतर्गत प्रमाणपत्र जारी करना

7. शेष विभाग	1. अन्य हितग्राही मूलक योजनांतर्गत लाभ दिलाना

2/ विशेष ग्राम सभा का आयोजन निम्नलिखित तिथि को किया जावेगा यह प्रथम साधिकार दिवस होगा :–

1. 31 जुलाई 2015
2. 01 अगस्त 2015
3. 03 अगस्त 2015

आवश्यक होने पर 4 अगस्त 2015 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा सकता है।

3. विशेष ग्राम सभा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। पात्रताधारियो को योजनाओ की समुचित जानकारी दिए जाने तथा विशेष ग्राम सभा के आयोजन की सूचना दिए जाने के लिए ग्राम में डोडी पिटवाकर सूचित किया जावे। प्रचार प्रसार व्यापक हो , इस हेतु समुचित कार्रवाई संबंधित एस.डी.एम. द्वारा जनपद पंचायत के माध्यम से की जावेगी।

4. साधिकार दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी विशेष ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।

5. विशेष ग्राम सभा में व्यक्तियों को उनकी पात्रता के अनुसार विहित योजनाओं में लाभान्वित किये जाने हेतु आवेदन पत्र भरवाये जावेगें। आवेदन पत्र के साथ वांछनीय अभिलेख संलग्न किया जावेगा।

6. विशेष ग्राम सभा के पूर्व साधिकार ग्राम दल के सदस्यो के व्दारा विशेष अभियान के रूप मे पात्रताधारियो का चिन्ह्मकंन करने तथा जानकारी देने के लिए घर–घर जाकर सर्वे किया जावेगा।

7. साधिकार ग्राम दल के सदस्यों द्वारा उन्हें निर्धारित योजना के पात्रता धारियों से आवेदन की पूर्णता कराने के बाद विशेष ग्राम साभा में सचिव को अवेदन पत्र दिये जावेगें।

8. प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–1) में योजनावार रूप में व्यक्तियों के नाम का विवरण सचिव द्वारा अंकित किया जावेगा। निर्धारित प्रपत्र में जानकारी सीईओं जनपद पंचायत को प्रस्तुत की जावेगी। सचिव इस प्रपत्र की एक प्रति स्वयं के पास व दूसरी प्रति प्रेक्षक को सौपेगें।

17. प्रेक्षक द्वारा अपने प्रभार की विशेष ग्राम सभा का पर्यवेक्षण कर, सुनिश्चित करेगें कि विशेष ग्रामसभा तथा साधिकार के व्यापक प्रचार प्रसार हो,और निर्धारित दिवस पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन हो । अपरिहार्य कारणो से विशेष ग्राम सभा नही हो पाती है, तो अगले दिवस हो और यदि अगले दिवस मे कोई विशेष बाधा आती है, तो संबधित एस.डी.एम. लिखित में इस कार्यालय को संसूचित करेगें।

18. प्राप्त आवेदन पत्रों को सीईओ जनपद पंचायत द्वारा अनुविभागिय अधिकारी के पर्यवेक्षण में संबंधित विभाग को उसी दिन कार्यालय में आयोजित बैठक में देगें। संबंधित विभाग के द्वारा प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रताधारी को स्वीकृति जारी कर, यह सुनिश्चत करेगें की उन्हें उस योजना का लाभ मिल सकें।

19. जिस योजनाओं में पात्रता धारी को स्वीकृति प्राप्त है, किन्तु उन्हें योजना का लाभ नही मिल रहा तो उन्हें उस योजना का तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चत करेगें। तथा उसका विवरण निर्धारित प्रारूप में अंकित करेंगं।

11. जिस स्थान पर विशेष ग्राम सभा अयोजित की गई थी, उसी स्थान पर पात्रता धारियों को लाभान्वित किये जाने के लिए निम्नलिखित दिवस में से एक दिन का निर्धारण एसडीएम द्वारा आदेश जारी कर दिया जावेगा। यह द्वितीय साधिकार दिवस होगा । ग्राम सभा का आयोजन नही माना जावेगा।

1. 10 अगस्त 2015
2. 12 अगस्त 2015
3. 14 अगस्त 2015

साधिकार दिवस पर आयोजित प्रथम चरण की ग्राम सभा की रूपरेखा नियमानुसार रहेगी।

1. ग्राम सभा का आयोजन पूर्व निर्धारित एवं प्रचारित स्थान एवं समय पर किया जावेगा।
2. ग्राम सभा में ग्रामीण जनों के बैठने हेतु दरी, तारपोलिन आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायत सचिव द्वारा की जावेगी।
3. सर्व प्रथम नोडल अधिकारी द्वारा (यदि किसी विशेष योजना के संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित है तो उनके द्वारा) समस्त योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी जैसे– पात्रता तथा मिलने वाले लाभ के बारे में ग्राम सभा में दी जावेगी।
4. तत्पश्चात उपस्थित ग्रामीणों द्वारा दिये गये आवेदन (जो पूर्व से ग्राम दल में सदस्य द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दिये गये होगे) प्राप्त कर सूचीबद्ध किया जावेगा। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा मौखिक निवेदन करने पर या ग्राम दल के सदस्यों की जानकारी अनुसार कोई ग्रामीण पात्र होने की संभावना पर तत्काल ही उसका आवेदन भरा जावेगा उस आवेदन को निर्धारित प्रारूप में सूचीबद्ध किया जावेगा।

5. पूर्व से स्वीकृति प्रकरणों में यदि लाभ नहीं मिला है (जैसे– वृद्धावस्था पेंशन की राशि कुछ माहों से न मिलना या म0प्र0भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार मण्डल का जीवित कार्ड होने पर भी पात्रता अनुसार लाभ न मिलना,आदि) तो उसकी पृथक सूची तैयार की जावेगी (प्रारूप 2 में)

6. समस्त नवीन आवेदनों (जिनके नवीन आवेदन प्राप्त किये गये/भरे गये है) को आगामी साधिकार दिवस की तिथि एवं समय की जानकारी दी जावेगी। द्वितीय साधिकार दिवस पर ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जावेगा मात्र हितग्राहीयों एकत्रित कर लाभ का वितरण किया जावेगा।

7. प्रथम साधिकार दिवस पर आयोजित ग्राम सभा की विधिवत कार्यवाही विवरण तैयार किया जावेगा। उसमें योजनावार प्राप्त आवेदनों की संख्या का उल्लेख किया जावेगा । साथ ही आवश्यकतानुसार ग्राम साभा द्वारा अनुमोदन किये जाने का उल्लेख किया जावेगा।

8. प्रेक्षक के आने पर प्रेक्षक द्वारा साधिकार दिवस पर एकत्रित ग्रामीणों को संक्षिप्त रूप सम्बोधित किया जावेगा एवं यदि कोई शंका हो तो उसका निवारण किया जावेगा।

9. साधिकार दिवस कार्यक्रम समाप्ति पश्चात् विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में नोडल अधिकारी एवं सचिव द्वारा सयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कर प्रेक्षक को सौपी जावेगी।

द्वितीय साधिकार दिवस की रूपरेखा निम्नानुसार होगी :–

1. प्रथम साधिकार दिवस पर प्राप्त समस्त आवेदनो की स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण कर स्वीकृत करना एवं आगामी माहो से लाभ देना प्रारंभ करना।

2. द्वितीय साधिकार दिवस पर नवीन हितग्राहियो को स्वीकृति बाबद जानकारी एवं प्रमाण पत्र देना।

(बी.चंद्रशेखर)
कलेक्टर
जिला रतलाम

पृ. क्रमांक /साधिकार अभियान/2015 रतलाम दिनांक 18.07.2015

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन की और सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर कलेक्टर जिला रतलाम की और सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख .... की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला रतलाम